

संख्या: 142/70-5-2010

प्रेषक,

डी०के० सिंह  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर राज्य परियोजना निदेशक  
उ० प्र० समी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,  
मिनातानांज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 2 जून, 2010

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षामित्रों की नवीन नियुक्ति बन्द किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शि०मि०/614/2010-11, दिनांक 06.5.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 01.4.10 से लागू हो जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षा मित्रों की नवीन नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

APD(D)

ASPD

04/06/10

Dr. Meena Sharma

APD  
7/6/10

भवदीय,

( डी०के० सिंह )  
विशेष सचिव ।

142  
7/6/10